

सं0 सं0-एस0आई0पी0वी0 201700494.....
सेवा मे।

दिनांक—

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

विषय— मेसर्स हिमाचल कोल्ड स्टोरेज सोल्यूशन द्वारा उजियारपुर, माधोपुर, समस्तीपुर में 7400 मे0 टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु टर्म लोन पर व्याज अनुदान के रूप में कुल रु0 8,73,146/- (मात्र आठ लाख तिहातर हजार एक सौ छियालिस रुपए) के अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मे0 हिमाचल कोल्ड स्टोरेज सोल्यूशन द्वारा उजियारपुर, माधोपुर, समस्तीपुर में 7400 मे0 टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज की स्थापना संबंधी प्रस्ताव में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की बैठक दिनांक 04.09.2017 को स्टेज-1 तथा दिनांक 21.11.2017 की बैठक में वित्तीय प्रोत्साहन विलयरेन्स प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम- 7 (2) (ii) में निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन भी प्राप्त है। यह इकाई खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के अंतर्गत गैर प्राथमिकता सूची में है।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत इकाई के उत्पादन में आगे के बाद ही अनुदान देय है, अतएव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद सचिवालय के कार्यालय आदेश ज्ञापांक एस0आई0पी0201700494 / 800, दिनांक 18.01.2018 के द्वारा श्री अशोक कुमार, सलाहकार, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं श्री अलख कुमार सिन्हा, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्तीपुर से उक्त इकाई का स्थल निरीक्षण कराया गया। उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में इकाई को दिनांक 20.02.2017 से कार्यरत घोषित कराया गया है। अत इकाई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

3. इकाई को पूर्व में 30 जून, 2018 तक रु0 41,19,665/- (मात्र एकतालिस लाख उन्नीस हजार छँ सौ पैसठ रुपए) भुगतान किया जा चुका है।

4. इकाई को तृतीय किस्त के रूप में 01 जुलाई, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक व्याज अनुदान के रूप में कुल रु0 8,73,146/- (मात्र आठ लाख तिहातर हजार एक सौ छियालिस रुपए) के अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है—

(i) इकाई न्यूनतम् 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर इकाई द्विना किसी औद्योगिक और राज्यालय के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि 18% चक्रवृद्धि व्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(ii) इकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक स्थापित मशीन-उपकरण, आधारभूत संरचना, भूमि की विक्री/ लीज/ हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।

(iii) अनुदान की गणना में ब्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगी।

(iv) इकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु झूठी उद्घोषणा किए जाने, उपलब्ध कराए गए कागजात के भविष्य में गलत पाए जाने पर भुगतान की गई अनुदान की राशि भुगतान की तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि व्याज के साथ वसूल दी जाएगी।

(v) यदि इकाई को द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं लौटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा Public Demand Recovery Act के अंतर्गत व्याज सहित उक्त राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप की जाएगी।

5. उक्त राशि का व्यय वहन 'राज्यादेश सं0-2060, दिनांक-11.06.18 एवं आवंटनादेश सं0-5/DI-B(Allotment)-16/2018, Order No.-1480 dated-13.06.2018 के आलोक में मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80-सामान्य, लघु शीर्ष 102-औद्योगिक उत्पादकता, मौग संख्या 23, उप शीर्ष 0160-प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
7. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
8. इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद पर बी० टी० सी० फार्म-२५ पर की जाएगी।
9. इस राशि का भुगतान हिमाचल कोल्ड स्टोरेज सोल्यूशन, उजियारपुर, माधोपुर, समरसीपुर को उनके यूको बैंक, दानियालपुर, बेगुसराय में खाता संख्या-13770210003121, IFSC Code- UCBA0001377 में RTGS के माध्यम से की जाएगी।

, बिहार साज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(पंकज कुमार सिंह)

उद्योग निदेशक

—सह—

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०

बिहार, पटना।

दिनांक-

ज्ञापांक—एस०आई०पी०बी० 201700494.....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

—सह—

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०

बिहार, पटना।

दिनांक-

ज्ञापांक—एस०आई०पी०बी० 201700494.....

प्रतिलिपि: वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

—सह—

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०

बिहार, पटना।

दिनांक- १३.०९

ज्ञापांक—एस०आई०पी०बी० 201700494...1252


प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, समरसीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियो में / ~~अमृ~~ टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / मेरासी हिमाचल कोल्ड स्टोरेज सोल्यूशन उजियारपुर, माधोपुर, समरसीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक

—सह—

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०


बिहार, पटना।